



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 1-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 1, 2026 (PAUSA 11, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 जनवरी, 2026

संख्या 32/6/2002-4आई०बी०-।.— भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1), की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई विशिष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट भूमि, जिसका अधिग्रहण गांव बेगमपुर खटोला, नरसिंहपुर तथा खाण्डसा, तहसील तथा जिला गुरुग्राम में औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक और मनोरंजनात्मक तथा अन्य लोक उपयोगिताओं के एकीकृत परिसर के विकास के लिए किया गया था, के अर्जन को आंशिक रूप से वापिस लेते हैं, जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 15 नवम्बर, 2002 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग, अधिसूचना संख्या 32/6/2002-4आई०बी०-।, दिनांक 15 नवम्बर, 2002, को जारी की गई थी और धारा 6 के अधीन हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 12 नवम्बर, 2003 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग, अधिसूचना संख्या 32/6/2002-4आई०बी०-।, दिनांक 12 नवम्बर, 2003 द्वारा घोषणा की गई थी और धारा 7 के अधीन हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 27 अक्टूबर, 2004 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग, अधिसूचना संख्या 32/6/2002-4आई०बी०-।, दिनांक 27 अक्टूबर, 2004, द्वारा आदेश जारी किए गए थे।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	गांव/हदबस्त संख्या	आयत संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	
					कनाल	मरला
गुरुग्राम	कादीपुर	बेगमपुर खटोला / 101	27	9/2/1	0	18
				9/2/2	2	0
				10/2	1	16
				11/1	3	8
				11/2	3	8
				11/3	1	4
				12/1/1	2	0
				12/1/2	2	0

जिला	तहसील	गांव/हदबस्त संख्या	आयत संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	
					कनाल	मरला
गुरुग्राम	कादीपुर	बेगमपुर खटोला/ 101		12/2	4	0
				18मिन	5	16
				19/1मिन	1	8
			27	19/2 मिन	2	15
				20/1/1	3	8
				20/1/2	0	12
				कुल	34	13
				या 4 एकड़ 2 कनाल 13 मरला		

अमित कुमार अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 1st January, 2026

No. 32/6/2002-4-IB-I.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 48 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby partly withdraws from the acquisition of land as specified below in respect of which Haryana Government, Industries Department, notification No. 32/6/2002-4-IB-I, dated the 15th November, 2002, issued under section 4 of the said Act, published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 15th November, 2002 and declaration under section 6 thereof was made vide Haryana Government, Industries Department, notification No. 32/6/2002-4-IB-I, dated the 12th November, 2003, published in Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 12th November, 2003 and Order under section 7 of the said Act was issued vide Haryana Government, Industries Department, Order No. 32/6/2002-4-IB-I, dated the 27th October, 2004, namely for development of integrated complex for Industrial, Institutional, Commercial and Recreational and other public utilities in villages Begumpur Khatola, Narsinghpur and Khandsa, tehsil and district Gurugram.

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Village/ Hadbast Number	Rectangle Number	Khasra Number	Area	
					Kanal	Marla
Gurugram	Kadipur	Begumpur Khatola/ 101	27	9/2/1	0	18
				9/2/2	2	0
				10/2	1	16
				11/1	3	8
				11/2	3	8
				11/3	1	4
				12/1/1	2	0
				12/1/2	2	0
				12/2	4	0
				18min	5	16
				19/1min	1	8

District	Tehsil	Village/ Hadbast Number	Rectangle Number	Khasra Number	Area	
					Kanal	Marla
Gurugram	Kadipur	Begumpur Khatola/ 101		19/2 min	2	15
				20/1/1	3	8
				20/1/2	0	12
				Total	34	13
			Or 4 Acre 2 Kanal 13Marla			

AMIT KUMAR AGRAWAL,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Industries and Commerce Department.